42

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 284–दो/2013 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 17–9–2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा –, प्रकरण कमांक 424/2006–07 निगरानी

1– पुरूषोत्तम प्रसाद पुत्र गोविन्द वानी
2– श्रीमती कौशिल्यावाई पत्नि स्व.गोविन्द बानी
निवासी ग्राम बसनिहा तहसील पुष्पराजगढ़
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्व

परशुराम सिंह पुत्र कोपा सिंह गोड
ग्राम वसनिहा तहसील पुष्पराजगढ़
जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0के0देव पाण्डेय)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अभिताब चतुर्वेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 424/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–9–2007 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 ख के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बसनिहां की भूमि सर्वे कमांक 380 रकबा 1.32 एकड़ के भूमिस्वामी संबत 1983 से उसके पिता एंव बड़े पिता एंव उसके वाद चचेरे भाई सुरेश सिंह एंव पंचम सिंह के नाम दिनांक 31–12–59 को नामान्तरण हुआा है, पिता की मृत्यु के वाद उसके नाम नामांत्रण हुआ है। इस प्रकार यह भूमि पैत्रिक है और वह गोड जाति का है। खसरा के जुज रकबा 0.182 है. तथा 0.020 है. पर कमशः गोविन्द प्रसाद, छोटेलाल पुत्रगण भगवत प्रसाद तथा कुशलप्रसाद पुत्र अयोध्याप्रसाद काविज है। गोविन्द प्रसाद व्दारा उक्त आराजी पर पक्का मकान बनाया जा रहा है जबकि

नक्शा तरमीम नहीं है इसलिये निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुये भूमि खाली कराकर उसे दिलाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ ने प्रकरण कमांक 1 अ-23/2003-04 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 30-9-2004 पारित करके अनावेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला अनूपपुर के समक्ष अपील की गई। कलेक्टर जिला अनूपपुर ने प्र.क. 5/2004-05 अपील में पारित आदेश दि. 30-3-2007 से अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ का आदेश दिनांक 30-9-2004 निरस्त कर दिया तथा राजस्व अभिलेख से गोविन्द प्रसाद, छोटेलाल पुत्रगण भगवत प्रसाद तथा कुशलप्रसाद पुत्र अयोध्याप्रसाद का नाम विलोपित करने तथा परशुराम सिंह पुत्र कोपा सिंह गोड का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करते हुये एक माह में कब्जा सौंपे जाने का आदेश दिया। कलेक्टर जिला अनूपपुर के आदेश दिनांक 30-3-2007 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 17-9-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पिटीशन क0 13898/ 2007 प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दि. 12-9-12 में निम्नवत् निर्णय हुआ :-

However, it is also made clear that on filing the appropriate application under section 14 of the Limitation Act along with the aforesaid revenue revision before th Board of Revenue, the petitioners shall be entitled to get exclusion of the period of limitation in filing such revision which has been spent by them in prosecuting the present petition.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानमुक्रम में यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 17-9-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि 26-2-1958 में हुये कच्चे विक्रय नामा रू. 120/- से गोविन्द वानी को अंतरित हुई है विक्रयनामा दिनांक 26-2-1858 की छायाप्रति अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में पृष्ठ 57 पर संलग्न है। गोविन्द प्रसाद,

छोटेलाल, कुशप्रसाद व्दारा अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ को दिये गये जवाव दावे में किये गये लेख (जवावदावा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण का पृष्ट 21, 22) से इसका पुष्टिकरण होता है। इसी जवावदावे में यह भी अंकित है कि उक्त कच्चे विक्रय पत्र की लिखा-पढ़ी के आधार पर दिनांक 31-8-1970 को नामान्तरण हुआ है अर्थात भूमि अंतरण दिनांक 26-2-1958 के लगभग 12 वर्ष उपरांत केता का नामान्तरण किया गया है, जबकि कलेक्टर अनूपपुर के आदेश दिनांक 30-3-2007 के पद 9 में नामांत्रण कार्यकाल की त्रृटिपूर्ण गणना करके अंतरण के बीस वर्ष वाद नामान्तरण किया जाना बताया गया है, जिसके कारण कलेक्टर के आदेश का अंश भाग बीस वर्ष विलुप्त किया जाकर लगभग 12 वर्ष वाद नामान्तरण करना शब्द सॅशोधन योग्य है। विक्रय पत्र के 12 वर्ष वाद अर्थात दिनांक 31-8-1970 को नामान्तरण होना मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 एंव 170 के प्रावधानों के अंतर्गत विचारणीय है क्योंकि अनावेदक जाति से गोड होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है एंव केता तथा उसके वारिस सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं। इस सम्बन्ध में कलेक्टर अनूपपुर व्दारा आदेश दिनांक 30-3-2007 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17-9-2007 पारित करते समय कलेक्टर अनूपपुर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। कलेक्टर अनूपपुर व्दारा आदेश दिनांक 30-3-2007 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 17-9-2007 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 424/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-9-2007 उचित प्रतीत होने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर